101

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर , केम्प उज्जैन

प्र० क्र० /१३ निगरानी — R-940-I/13

महेश शर्मा
22-1-2013
22-1-13
आयुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग

१. राजेश पिता मदनलालजी कुम्हार
२. संजय पिता मदनलालजी कुम्हार
निवासी - बडोद - कृषक जहांगीरपुरा तहसील बडोद
जिला शाजापुर म० प्र० ---- आवेदकगण
निगरानीकर्ता

विरुद्ध

जतनबाई पति प्रभुलाल जाति कुम्हार ,
निवासी कस्बा बडोद - कृषक ग्राम जहांगीरपुरा तहसील
बडोद जिला शाजापुर --- अनावेदक / रिस्पां०

278
22/1/2013

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म० प्र० भू० रा० संहिता १९५९

27/2/13

माननीय महोदय ,

आवेदक निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत है :-

27.2.13

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

जतनबाई द्वारा एक सीमांकन का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमे आवेदन पत्र मे वर्णित भूमि सर्वे क्रमांक ८२७ रकबा ०-१९ तथा सर्वे क्र० ८२९ रकबा ०-८८ कुल कित्ता २ कुल रकबा १-०७ हेक्टर का सीमांकन ३०-६-१२ , को होना निश्चित किया गया था जिसमे पटवारी और कोटवार द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन किया जाना बताया गया ।

: निगरानी के आधार :

१: यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा कार्यवाही विधि और विधान के विपरित करने से निरस्त की जाने योग्य है।

२: यह कि निगरानीकर्ता के द्वारा ही कृषि भूमि सर्वे नंबर ८२९ रकबा

-- २

XXIX(a)-BR(H)-11

(101)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-940-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	